राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1	108/2022	अवधेश बारठ	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य। 2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। 3. संयुक्त सचिव (ग्रुप–।) राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 4. जिला कलक्टर, जिला जोधपुर।
2	109/2022	दिनेश परिहार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य। 2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। 3. संयुक्त सचिव (ग्रुप–।) राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 4. जिला कलक्टर, जिला जोधपुर।

आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री के पी एस भाटी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड , राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से तथा इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान होने से न्यायहित में अपील संख्या 108/2022 अवधेश बारठ की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त सारणी में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 18.09.2018 के स्थान पर सही नियुक्ति तिथि 16.02.2018 अंकित किए जाने एवं अपीलार्थी का नाम वर्ष 2021–21 की पदोन्नति सूची में शामिल करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रकिया के उपरान्त आदेश दिनांक 15.02.2018 (अनुलग्नक–1) द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में नियुक्ति हुई। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 16.02.2018 को कार्यभार ग्रहण किया (अनुलग्नक–2)। उसके पश्चात् प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–।। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित विभागों बाबत प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण हेतु आदेश दिनांक 10.02.2018 (अनुलग्नक–3) द्वारा कमेटी का गठन

किया गया। उक्त कमेटी के निर्णय पर अपीलार्थी को जिला कलक्टर, जोधपुर कार्यालय आवंटित किया गया (अनुलग्नक–4)। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर में कार्यभार ग्रहण करने पर आदेश दिनांक 18.12.2018 (अनुलग्नक–5) को उसे एसीएम फास्ट ट्रेक, फलोदी में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2021 (अनुलग्नक–6) के संदर्भ में कनिष्ठ सहायकों की अंतिम वरीयता सूची जारी की गई। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा कनिष्ठ सहायकों के पद पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति हेतु अनुभव में 1/3 छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव पत्र दिनांक 03.02.2022 (अनुलग्नक–7) द्वारा राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया । प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11.04.2022 (अनुलग्नक–8) द्वारा कनिष्ठ सहायकों से वरिष्ठ सहायकों के अस्थाई रूप से पदोन्नति आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित योग्यता/अनुभव धारित होने पर भी अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि आदेश दिनांक 03.02.2022 (अनुलग्नक–7) में यह भी मार्गदर्शन चाहा गया कि दिनांक 01.04.2021 को सामान्य वर्ग के रिक्त पद पर क्या वरिष्ठ कार्मिक के वरिष्ठता की अर्हता में शिथिलता दिया जाकर कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति दी जा सकती है अथवा नहीं। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा भी इसी बिन्दू पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 11.01.2022 (अनुलग्नक–6) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के अनुसार स्नातक योग्यताधारी को पदोन्नति हेतु 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है और गैर स्नातक को 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव धारित रखता है। इसलिए शिथिलता की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जारी पत्र दिनांक 03.02.2022 के अनुसार 63 पद वर्ष 2021–22 में रिक्त है। अतः अपीलार्थी का नाम शामिल किया जाकर वर्ष 2021–22 के रिक्तियों के विरूद्ध पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। साथ ही, निवेदन किया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर में समान स्थिति वाले कर्मचारियों को वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। उनकी नियुक्ति तिथि भी अपीलार्थी के समान दिनांक 16.02.2018 है (अनुलग्नक–10)।

4. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.04.2022 द्वारा संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया लेकिन अपीलार्थी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया (अनुलग्नक–11)। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2021–22 की पदोन्नति सूची में शामिल किया जावे और उसकी नियुक्ति तिथि 18.09.2018 के स्थान पर दिनांक 16.02.2018 का अंकन किया जावे।

5. प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अपील का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में हुई। राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी को राजस्थान लोक सेवा आयोग 2013 में उत्तीर्ण कार्मिकों को क्लर्क ग्रेड द्वितीय के पद पर जिन्होंने दिनांक 31.03.2018 के पहले मेरिट के आधार पर विभिन्न कार्यालयों में कार्यग्रहण कर लिया गया, को उनकी मेरिट के अनुसार विभाग आवंटन हेतु कार्य दिया गया। अपीलार्थी को जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय आवंटन पर दिनांक 13.09.2018 को जोधपुर कार्यालय में उपस्थिति दी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अंतिम वरीयता सूची दिनांक 11.01.2022 में अपीलार्थी का

नाम क्रम संख्या 48 पर है। वरीयता सूची में अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि 18.09.2018 है। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.06. 2008 के बिन्दू 2.1 के अनुसार यह पदोन्नति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की गई है और पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दी जाएगी। इसमें यह शर्त निर्धारित है कि अपीलार्थी को 7 वर्ष का संतोषजनक सेवा अभिलेख होने आवश्यक है (अनुलग्नक–आर/1)। पदोन्नति आदेश दिनांक 11.04.2022 द्वारा अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है, जो नियमानुसार और कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार है। पदोन्नति हेतु अनुभव में शिथिलता प्रदान हेतु डीपीसी कार्यवाही से पहले कार्मिक विभाग से अनुमति लिए जाना आवश्यक है। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 07.01.2020 द्वारा सभी विभागाध्यक्षों और नियुक्ति प्राधिकारियों को छूट के संबंध में प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अनुभव में शिथिलता हेतु भेजे गए प्रस्ताव में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 12 पर अंकित है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 16.03.2022 द्वारा अनुभव में शिथिलता नहीं प्रदान की गई और डीपीसी आयोजित की जाकर आदेश दिनांक 11.04.2022 द्वारा 2 कार्मिकों को वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध और 18 कार्मिकों को वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 01.04.2022 से पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2022 द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2022 को पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिसे स्पष्ट है कि अपील में उठाया गया बिन्दू सारहीन, असत्य होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

6. अपील में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में सफल घोषित होने पर उसे विधिवत् चयन के पश्चात् राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 15.02.2018 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.02.2018 के मध्याह्न पूर्व राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर आवंटित किया गया। जहां पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.09.2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठतासूची दिनांक 11.01.2022, जो दिनांक दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में जारी की गई है उसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 48 पर अंकित है एवं अपीलार्थी की राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 18.09.2018 अंकित है जबकि अपीलार्थी का नियुक्ति आदेश तिथि 15.02.2018 है और उसके द्वारा दिनांक 16.02.2018 को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में कार्यभार ग्रहण किया गया। अतः जारी वरिष्ठता सूची में राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि को संशोधित किया जाकर दिनांक 16.02.2018 जाना अपेक्षित है।

8. जहां तक अपीलार्थी को वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दिए जाने का प्रश्न है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि वर्ष

2021–22 हेतु जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर में दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में वरिष्ठ सहायक के कुल पद 96 स्वीकृत होकर 33 कार्मिक कार्यरत होना एवं 63 पर डीपीसी/पदोन्नति हेतु रिक्त उपलब्ध होना जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 03.02.2022 से प्रमाणित है। इस पत्र द्वारा कार्मिकों को पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में शिथिलन की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जिसे राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया। इसमें दोनों अपीलार्थीगण का नाम शामिल है। कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानानुसार स्नातक योग्यताधारियों के लिए 3 वर्ष एवं गैर स्नातक के लिए 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित है। उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्नातक योग्यता धारी है जिस कारण कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु 3 वर्ष का अनुभव धारित करना आवश्यक है। अपीलार्थी की राज्य सेवा में नियुक्ति आदेश दिनांक 15.02.2018 (अनुलग्नक–1) द्वारा हुई एवं उसने दिनांक 16.02.2018 को मध्याह्न पूर्व राजकीय सेवा में कार्यग्रहण किया। इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित 3 वर्ष का अनुभव धारित करता है। अतः अपीलार्थी के प्रकरण में वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव धारित करने से अनुभव मे शिथिलन की आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में पदोन्नति हेतु वरिष्ठ सहायक के कुल 63 पद रिक्त उपलब्ध थे जबकि पदोन्नति आदेश दिनांक 11.04.2022 (अनुलग्नक–8) द्वारा वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध मात्र 18 कार्मिकों को ही पदोन्नति प्रदान की गई एवं शेष पद रिक्त रखे गए है। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2021–22 में पदोन्नति हेतु पद रिक्त एवं उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का 7 वर्ष का संतोष जनक सेवाकाल होना आवश्यक है, जबकि अपीलार्थी का सेवाभिलेख उससे कम अवधि का है। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दू संख्या 2.1 के अनुसार पदोन्नति हेतु राज सेवक का गत 7 वर्षों में संतोषप्रद सेवाभिलेख हो और इसके सेवाभिलेख में कोई प्रतिकूलता नहीं हो। परन्तु यदि किसी राजसेवक की सेवा ही 7 वर्ष से कम है एवं वह पदोन्नति हेतु पात्र हो जाता है तो उस दशा में उसके सेवाकाल के सेवाभिलेख को ही पदोन्नति हेतु आधार बनाया जाएगा। गत सात वर्षों का सेवाभिलेख इस दशा में देखा जाना आवश्यक है जबकि राज सेवक का सेवाकाल 7 वर्ष से ज्यादा अवधि का है। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अपीलार्थी के पूरे सेवा काल में उसके सेवाभिलेख में कोई प्रतिकूलता नहीं है एवं सेवाभिलेख असंतोषप्रद भी नहीं है। अन्य अपीलार्थी दिनेश परिहार के प्रकरण में भी समान तथ्य है।

9. अतः उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलार्थी वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव धारित करता है एवं पदोन्नति हेतु वर्ष 2021–22 में वरिष्ठ सहायक के पद भी रिक्त है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठता सूची दिनांक 11.01.2022 में अपीलार्थी की राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि को सही अंकित किया जावे एवं वर्ष 2021–22 के वरिष्ठ सहायक के रिक्त पदों के विरूद्ध आगामी 3 माह में रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाकर अपीलार्थी के

पदोन्नति प्रकरण पर विचार किया जाकर वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे।

10. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 108/2022 में एवं आदेश की फोटो प्रति शीर्षक तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।
11. आदेश आज दिनांक 15.02.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य